अध्याय XI: वस्त्र मंत्रालय

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.1 यार्न के निर्यात में सम्यक् तत्परता के अभाव की वजह से संदेहास्पद वसूली

₹5.91 करोड़ की संदेहास्पद वसूली पाकिस्तान में दो निजी पार्टियों को उनकी साख के सत्यापन के बिना यार्न के निर्यात में सम्यक् तत्परता के अभाव में तथा मै. जनरल इक्विटी न्यूजीलैण्ड द्वारा जारी साख पत्र की स्वीकृति की वजह से थी जिसको कि वित्तीय बाजार प्राधिकरण-न्यूजीलैण्ड द्वारा भ्रामव तथा कपटपूर्ण आचरण में संलग्न रहने वाला बताया गया था।

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की मिलो में से एक दी न्यू मिनर्वा मिल्स, कर्नाटक ने दो पाकिस्तानी प्रेषकों/क्रेताओं अर्थात् मै. ट्रांसट्रेड ग्लोबल तथा मै. मदीना इम्पैक्स इंटरनेशनल को जनरल इक्विटी, न्यूजीलैण्ड (जीई) के दिनांक 28 जुलाई 2015 एवं 05 अगस्त 2015 के दो अवसूलीयोग्य साखपत्रों (एलसी) पर ₹5.91 करोड़ के यार्न का निर्यात किया (अगस्त 2015)। एनटीसी ने क्रुंग थाई बैंक, मुम्बई शाखा के माध्यम से एलसी प्राप्त किया जिसे जीई की ओर से सुइस क्रेडिट कैपिटल (2009), लंदन द्वारा जारी किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीई, न्यूजीलैंड की केवल एक भवन निर्माण संस्था थी जो 2007 में अपने सदस्यों/ग्राहकों की सहायता के लिए बनाई गई थी। यह न्यूजीलैंड में एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय बाजार भागीदार नहीं थी। यह न तो न्यूजीलैण्ड रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1989 के तहत पंजीकृत बैंक था और न ही इसे वित्तीय बाजार प्राधिकरण[1] (एफएमए) द्वारा विनियमित किया जाता था।

एफएमए ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से एक चेतावनी (सितंबर 2014) जारी की थी कि जीई से किसी भी वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने या उससे किसी भी वित्तीय उत्पाद प्राप्त करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से, एफएमए ने चेतावनी दी कि जीई न्यूजीलैंड में एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय बाजार भागीदार नहीं था और न्यूजीलैंड में किसी भी प्रडैन्शियल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है और ये ना तो एक न्यूजीलैण्ड का बैंक है और न ही गैर बैंक जमा प्राप्तकर्ता है। जीई ने उन परिसंपत्तियों के संबंध में भ्रामक और कपटपूर्ण बयान दिया था जिसे इसने धारण करने का दावा किया था

[1] *न्यूजीलैंड सरकार एजेंसी सभी वित्तीय बाजार प्रतिभागियों, एक्सचेंजों और सेटिंग और वित्तीय नियमों के लागू करने के वित्तीय विनियमन के लिए जिम्मेदार।*

और उसी का उपयोग जीई द्वारा एलसी के जारी करने के समर्थन के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति समर्थन का भ्रामक प्रभाव देने के लिए किया गया था। इसके अलावा, न्यूजीलैंड के बाहर किए जा रहे अधिकांश जीई के व्यापार जो उन जगहों के वित्तीय बाजारों के नियामकों के निरीक्षण और कानूनों के अधीन थे, जहां यह उस व्यवसाय का संचालन करता है, के मद्देनजर एफएमए ने चेतावनी दी कि इसमें न्यूजीलैंड संस्थाओं द्वारा न्यूजीलैंड के बाहर प्रदान की वित्तीय सेवाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कानून की सीमित क्षमता थी।

एफएमए ने आदेश दिया था कि जीई के संबंध में उक्त चेतावनी को जीई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए ताकि इससे काम करने वालों को एफएमए की चिंताओं से अवगत कराया जा सके। तदनुसार, उक्त चेतावनी को जीई की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया था।

एफएमए ने निम्नलिखित कारणों से चेतावनी प्रदर्शन आदेश दिया:

(क) यह महत्वपूर्ण था कि जीई के साथ काम करने वालों को एफएमए की चिंताओं से अवगत कराया जाए जैसा कि चेतावनी में व्यक्त किया गया था।

(ख) एक प्रकटीकरण आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि चेतावनी को जीई द्वारा सीधे प्रचारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक और अधिक लक्षित और प्रासंगिक वितरण हो सकता है बजाय इसके कि एफएमए केवल एफएमए वेबसाइट पर चेतावनी प्रकाशित करने पर विश्वास करें।

(ग) विशिष्ट रूप से, विदेशी व्यक्तियों तथा सत्त्वों जो जीई के साथ डील कर रहे है, को चेतावनी से अवगत होने की अधिक संभावना थी, यदि उसे जीई द्वारा प्रकाशित किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीसी ने जीई द्वारा जारी एलसी पर कॉर्पोरेशन बैंक से सलाह मांगी थी (जुलाई 2015)। हालांकि सभी कंटेनरों को एनटीसी द्वारा बैंक से कोई प्रमाणित सलाह प्राप्त करने से पहले ही भेज[2] दिया गया था (अगस्त 2015)।

एलसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार, जीई को लौडिंग[3] के बिल की तिथि से 90वें दिन भुगतान करना था। तदनुसार, कथित निर्यात के प्रति भुगतान नवम्बर 2015[4] में देय हो गया था। यद्यपि एनटीसी के कंसाइनमेंट हैडलिंग एजेंट (सीएचए) ने सूचित किया था कि सभी

---

[2] *चार 08 अगस्त 2015 को और छह 26 से 29 अगस्त 2015 तक।*

[3] *8th, 26th एवं 29th अगस्त 2015*

[4] *6th, 24th एवं 26th नवम्बर 2015*

दस प्रेषण जारी कर दिए गए थे तथापि, एनटीसी ने केवल आठ प्रेषणों की सुपुर्दगी के प्रमाण प्राप्त किए थे जिसका भुगतान एनटीसी द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन बैंक ने एनटीसी को सूचित किया (फरवरी 2016) कि उसने जीई से यह कहते हुए स्विफ्ट[5] मैसेज प्राप्त किया था कि जीई को उनके ग्राहकों द्वारा यह सूचना दी गई थी कि माल विवरण से नहीं मिलता था और जीई ने एनटीसी से लेनदेन रद्द करने के पत्र प्राप्त किए थे। जीई ने आगे सूचित किया कि यह अब पार्टियों के बीच का मामला था तथा उसने फाइल बन्द कर दी। हालांकि, एनटीसी ने दावा किया कि उक्त पत्र जाली थे क्योंकि उसने कभी भी ऐसे पत्र जारी नहीं किए थे। इसके अलावा, जीई ने मांगे जाने के बावजूद भी लैडिंग के वास्तविक बिल वापस नहीं किए।

एनटीसी ने कॉर्पोरेशन बैंक को 30 अप्रैल 2016 को या उससे पूर्व ब्याज के साथ भुगतान करने को कहा (अप्रैल 2016) क्योंकि उसने प्रत्येक शुल्क का भुगतान करने के बावजूद वसूली के लिए उचित सर्विस, मार्गदर्शन तथा सहायता प्राप्त नहीं की जैसाकि यह पूर्ण रूप से बैंकिग सर्विस का मामला था। इसकी प्रतिक्रिया में, बैंक ने बताया (मई 2016) कि जीई से उनके परामर्श के बिना प्रत्यक्ष रूप से एलसी स्वीकार करने ने उन्हें यह आभास दिया कि क्रेता एनटीसी के जानकार थे तथा वित्तीय संगठन होने के नाते एनटीसी ने ऐसी बड़ी राशि के लिए बिक्री ठेका करने से पूर्व क्रेताओं तथा आवेदकों की वित्तीय ताकत तथा एंटीसीडेंल्स के बारे में उचित सावधानी बरती होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एलसी में उल्लिखित आवेदक (वन एनामेट्रिक्स इंटरट्रेड लिमिटेड, थाईलैंड) उन प्रेषकों से भिन्न था जिन्होंने पाकिस्तान में प्रेषण की सुपुर्दगी ली थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीसी ने ना तो प्रेषकों के साथ ना एलसी में उल्लिखित आवेदकों के साथ कोई औपचारिक लिखित करार/ठेके पर हस्ताक्षर किए थे। लेखापरीक्षा को उन क्रेताओं/आवेदकों जिसके साथ, विशेष रूप से क्रेताओं की भौगोलिक स्थिति (पाकिस्तान) के संदर्भ में कोई संव्यवहार किया जाना था, की विश्वसनीयता (वित्तीय प्रोफाइल) के स्वतंत्र सत्यापन/मूल्यांकन का कोई विवरण रिकॉर्ड में इस तथ्य के कारण नहीं मिला कि एनटीसी ने कभी भी पहले कथित पार्टियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया था।

इस प्रकार, एफएमए की चेतावनी को नज़रअंदाज करना तथा जीई, एक सत्व जो बैंक या लाइसेंस प्राप्त वित्तीय बाजार भागीदार भी नहीं था, के द्वारा जारी एलसी पर विश्वास करना एनटीसी के हित में नहीं था।

---

[5] ***दुनिया भर में इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए सोसायटी यानी एक संदेश नेटवर्क है कि वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित रूप से कोड के एकमान की कृत प्रणाली के माध्यम से जानकारी और निर्देश संचारित करने के लिए उपयोग।***

यह भी पाया गया कि एलसी के माध्यम से निर्यात आदेशों के निष्पादन को शासित करने के लिए एनटीसी द्वारा कोई विशिष्ट नियम, नीति या प्रक्रिया निर्मित नहीं की गई थी।

जीई द्वारा भुगतान से मना करने (फरवरी/अप्रैल 2016) के बाद, इस मामले को इंटर नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के साथ उठाया गया था (मार्च 2016)। जिसने उत्तर दिया (मई 2016) कि जीई आईसीसी, न्यूजीलैंड का सदस्य नहीं है। इसके अलावा, एनटीसी ने बैंकिंग प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था (मई 2016) कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त तथ्यों और एफएमए द्वारा "सीमित क्षमता" को सार्वजनिक रूपसे व्यक्त किए जाने के मद्देनजर, वसूली की संभावना कम हैं।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2018) कि:

1. ईसीजीसी लिमिटेड ने 12 जून 2015 को ट्रान्सट्रेड ग्लोबल के संबंध में क्रेडिट सीमा आवेदन को मंजूरी दी थी, क्योंकि पार्टी ईसीजीसी की सावधानी सूची में नहीं थी। मदीना इंपेक्स के मामले में प्रबंधन ने उनका साख पत्र लिया था और यह पाया कि वे पाकिस्तान में पंजीकृत कर दाता थे और उन्होंने एलसी खोलने से पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

2. एनटीसी ने निगम के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा किसी भी समय एलसी के यथार्थता या अन्यथा के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

3. एनटीसी को क्रुंग थाईबैंक, मुंबई शाखा के माध्यम से एलसी प्राप्त हुआ था जो थाईलैंड का एक राज्य-स्वामित्व बैंक था। क्रुंग थाईबैंक ने लंदन से सुइस क्रेडिट कैपिटल (2009), के माध्यम से जीई से एलसी प्राप्त किया, जिसके साथ इसका एलसी के ट्रांसमिशन के लिए एक संबंध प्रबंधन स्वीकृति (आरएमए) स्थापित था। इसका अर्थ यह था कि क्रुंग थाईबैंक ने पहले से ही उनके साथ एक आरएमए स्थापित करने के समय सुइस क्रेडिट कैपिटल (2009) और जीई के क्रेडेंशियल्स की जाँच की होगी। चूंकि एलसी एक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से प्राप्त किया गया था, वहाँ एलसी की स्थापना करने वाले बैंक की साख पर एक संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।

4. अब, एनटीसी निर्यात औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ने से पहले सभी विदेशी क्रेताओं के लिए क्रेडिट अनुमोदन लेने के अलावा ईसीजीसी के तहत सभी निर्यातों को कवर कर

रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं दोहराई जाए।

इसके बाद, प्रबंधन द्वारा यह भी बताया गया (अप्रैल 2019) कि कंपनी द्वारा सिंध, कराची, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के समक्ष एक वसूली मुकदमा दायर किया गया है और मामले की सुनवाई की अगली तारीख अगस्त 2019 में है।

उत्तर की निम्नलिखित तथ्यों के प्रति समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है:

1. ईसीजीसी द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सीमा मै. ट्रांसट्रेड ग्लोबल के संबंध में क्रेडिट बीमा की व्यवस्था हेतु थी परन्तु लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कंपनी द्वारा माल के निर्यात का बीमा नहीं किया गया था। क्रेता के साथ ठेके की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करने हेतु कहने पर, प्रबंधन ने पार्टियों में से केवल एक के साथ हस्ताक्षरित प्रोफार्मा बीजक की प्रति प्रदान की है जिसे वैध ठेका/अनुबंध नहीं माना जा सकता। तथ्य यह है कि एनटीसी माल का निर्यात करने से पूर्व क्रेताओं तथा आवेदकों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन/सत्यापन करने में विफल रही।

2. एनटीसी ने माल के निर्यात से पूर्व उचित सावधानी नहीं बरती थी तथा जीई द्वारा जारी एलसी की यथार्थता/विश्वसनीयता के लिए एकमात्र अपने स्वयं के बैंकर तथा हस्तांतरणकर्त्ता बैंक पर विश्वास नहीं रखा जा सकता। एनटीसी ने एफएमए द्वारा जीई के विषय में चेतावनी में उल्लिखित अन्य प्रतिकूल तथ्यों के अलावा न्यूजीलैंड में एक बैंक या लाइसेंस प्राप्त वित्तीय बाजार भागीदार न होते हुए जीई की स्थिति को नजरअंदाज किया था।

3. कंपनी ने जीई के विषय में उस चेतावनी को नजरअंदाज करने के संदर्भ में लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जिसे एफएमए के आदेशों के अनुसार इसकी वेबसाइट पर पहले ही यह कहते हुए दर्शाया गया था कि जीई प्रतिकूल तथ्यों के अलावा न्यूजीलैंड में एक बैंक या एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय बाजार भागीदार नहीं था।

इस प्रकार, उचित सावधानी बरते बिना माल का निर्यात करने के परिणामस्वरूप ₹5.91 करोड़ की सीमा तक वसूली संदेहास्पद थी।

मंत्रालय को यह मामला अक्टूबर 2018 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।